



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS



नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल संख्या: 26-11/51/2023-एनए-नौमनि

दिनांक: 05.12.2023

नौमनि आदेश संख्या: 18/2023

विषय: पोतों के टनभार मापन पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1969 में संशोधन और इनकी प्रयोजनीयता - संबंधी

जबकि, भारत सरकार ने पोतों के टनभार मापन पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1969 का अनुसमर्थन किया है और दिनांक 18 जुलाई 1982 से यह कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से प्रवृत्त है। कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में सरकार की सामान्य बाध्यकारिता है कि इस कन्वेन्शन को प्रवृत्त करने के लिए वह हर आवश्यक उपाय करे।

जबकि, यथा संशोधित, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 74 (2) (ए) और (बी) के साथ पठित धारा 74 (1) में विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विधायी प्रावधान और शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जबकि, सरकार ने इस कन्वेन्शन को प्रवृत्त करने के लिए एक उपाय के तौर पर वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टनभार मापन) नियम, 1987 जारी किए हैं।

जबकि, सरकार ने दिनांक 26 दि. संबर 2014 एक अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) अधिसूचित किये हैं और यथा निर्दिष्ट रूप से, आरओ के साथ एक समझौता किया गया कि वे कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करेंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईएमओ ने टनभार कन्वेन्शन के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए आईएमओ लिखत कार्यान्वयन (III) संहिता से संबंधित प्रावधानों को शामिल कर संकल्प ए.1084 (28) के माध्यम से संशोधन जारी किया।

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि सरकार इस कन्वेन्शन का पक्ष है, यह अनुपालन हेतु इसके प्रवृत्त होने की तारीख से लागू है।

(श्याम जगन्नाथन)

नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

नौमनि की वेबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारी

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)